

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक : एफ11(2)(15)मो./रा.क.ग./मो./13/

99519-551

जयपुर, दिनांक

28-7-16

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 (संदर्भित दिनांक 31.03.2014) एवं
संख्या -77 (संदर्भित दिनांक 31.03.2015)

प्रसंग:- आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का पत्रांक 7394 दिनांक 12.07.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य कर्मचारी गणना के प्राप्त प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आप राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 संदर्भित दिनांक 31.03.2014 एवं संख्या-77 संदर्भित दिनांक 31.03.2015 को आधार मानते हुए निर्धारित संशोधित प्रपत्रों में विभागीय ई-मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर दिनांक 31.08.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न:- प्रपत्र (1 से 5 क.ख.)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक

28-7-16

क्रमांक : एफ11(2)(15)मो./रा.क.ग./मो./13/

99552-858

प्रतिलिपि:-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी राजस्थान को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 संदर्भित दिनांक 31.03.2014 एवं संख्या-77 संदर्भित दिनांक 31.03.2015 को आधार मानते हुए निर्धारित संशोधित प्रपत्रों में उप निदेशक कार्यालय को दिनांक 10.08.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक(मो.)

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

विभाग का नाम: _____

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 (सन्दर्भित दिनांक 31-3-2014)
 वेतन वर्गानुसार स्थायी एवं अस्थायी अराजपत्रित कर्मचारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों की संख्या का विवरण

प्रपत्र संख्या-1

कुल कायरात कर्मचारियों में से

शाखा: _____

क्र.सं.	वेतन वर्ग (ग्रिड पे अनुसार)	अराजपत्रित कायरात कर्मचारी			राजपत्रित कायरात कर्मचारी			वृद्ध योग (5+8)	अराजपत्रित कायरात कर्मचारी						राजपत्रित कायरात कर्मचारी															
		स्थाई	प्रोबेशनर्स	योग	स्थाई	प्रोबेशनर्स	योग		पुरुष			महिला			पुरुष			महिला												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1700																													
2	1750																													
3	1900																													
4	2000																													
5	2400																													
6	2800																													
7	3600																													
8	4200																													
9	4800																													
10	5400																													
11	6000																													
12	6600																													
13	6800																													
14	7200																													
15	7600																													
16	8200																													
17	8700																													
18	8900																													
19	9500																													
20	10000																													
	योग																													

*जिन कर्मियों का प्रवेशन पूर्ण हो चुके है एवं नियमितिकरण के आदेश जारी हो चुके है उन्हें स्थाई कर्मचारी में दर्शाया जाए।
 **सभी कर्मियों का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 के अनुसार दर्शाया जाए।

प्रपत्र-1 को भरने के निर्देश:-

1. स्थाई कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है जो गणना दिनांक 31-3-14 को किसी भी पद पर स्थाई तथा:
 - (अ) जिनके वेतन का भुगतान कन्सोलिडेटेड फण्ड से होता है।
 - (ब) जो राज्य सरकार के किसी निश्चित नियम (आर.एस.एस.आर.) से प्रभावित होते हैं तथा
 - (स) जिनका वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान (रेगुलर स्केल्स) एवं पदेन भत्ते के अनुरूप किया जाता है।
2. निम्नांकित कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है:-
 - (क) जो कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर रखे जाते हैं।
 - (ख) जिनका वेतन नियमन किसी निर्धारित वेतनमान के अनुरूप नहीं होता है।
 - (ग) जो वर्कचार्ज के आधार पर रखे जाते हैं।
3. कर्मचारियों को उनके ग्रेड-पे के अनुसार कॉलम नम्बर-2 में दिखाए गए वेतन वर्ग में विभाजित किया जाता है। इस वेतन में महंगाई भत्ते को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का विवरण प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम नं. 4 में तथा राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम नं. 4 में अंकित किया जाता है।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2014
वेतन वर्गानुसार अराजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

विभाग का नाम: _____

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वेतन वर्ग (ग्रेड-पे अनुसार)	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1700								
2	1750								
3	1900								
4	2000								
5	2400								
6	2800								
7	3600								
8	4200								
9	4800 एवं अधिक								
10	प्रोबेशनर्स								
	योग								

प्रपत्र संख्या-2 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- दिनांक 31-3-2014 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि अंकित की जानी है, चाहे कर्मचारी का नए वेतनमान में स्थितीकरण हुआ है या नहीं।
- प्रोबेशनर्स को देय वेतन/मानदेय को वेतन एवं विशेष वेतन कॉलम संख्या 3 में दर्शाया जाए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2014
वेतन वर्गानुसार राजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

विभाग का नाम: _____

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वेतन वर्ग (ग्रेड-पे अनुसार)	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4800								
2	5400								
3	6000								
4	6600								
5	6800								
6	7200								
7	7600								
8	8200								
9	8700								
10	8900								
11	9500								
12	10000 एवं अधिक								
13	प्रोबेशनर्स								
	योग								

प्रपत्र संख्या-3 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. इस प्रपत्र में केवल राजपत्रित अधिकारियों की सूचना ही सम्मिलित की जानी है।
2. कॉलम-3 में वेतन व विशेष वेतन के रूप में दी गई राशि ही अंकित की जानी है।
3. कॉलम-4 में महंगाई भत्ते की राशि अंकित की जानी है।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारियों को देय शहरी भत्ता, मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता आदि पा रहे अधिकारियों की मासिक राशि को मदवार अन्य भत्ते कॉलम 5 से 8 में अंकित की जानी है।
5. कॉलम नम्बर 3, 4 व 9 का कुल योग कॉलम नम्बर-10 में दिया जाना है।
6. दिनांक 31-3-14 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि।
7. प्रोबेशनर्स को देय वेतन/मानदेय को वेतन एवं विशेष वेतन कॉलम संख्या 3 में दर्शाया जाए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2014
संवर्गवार अराजपत्रित कर्मचारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	अराजपत्रित पदों के नाम	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या		31 मार्च को वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
		नियमित	प्रोबेशनर्स	
1	2	3	4	5
1	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग			
2	मंत्रालयिक संवर्ग			
3	अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग			
4	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं हैं।			
	योग			

प्रपत्र संख्या-4 (क) को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. कॉलम नम्बर-3 एवं 4 में अराजपत्रित कर्मचारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-3 के योग से एवं कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-4 के योग से मिलना चाहिए।
2. कॉलम नम्बर-3 एवं 4 का योग प्रपत्र संख्या-5 (क) के कॉलम नम्बर-13 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।
3. कॉलम नम्बर-5 का योग प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2014
संवर्गवार राजपत्रित अधिकारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	राजपत्रित पदों के नाम	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या		31 मार्च को वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
		नियमित	प्रोबेशनर्स	
1	2	3	4	5
1	चिकित्सा संवर्ग (सभी प्रकार के)			
2	शिक्षा संवर्ग			
3	कृषि संवर्ग			
4	सांख्यिकी संवर्ग			
5	तहसीलदार संवर्ग			
6	लेखा संवर्ग			
7	अभियन्ता संवर्ग			
8	पुलिस संवर्ग			
9	तकनीकी संवर्ग			
10	यांत्रिक संवर्ग			
11	पशुपालन संवर्ग			
12	राज्य राजपत्रित संवर्ग			
13	अखिल भारतीय सेवा			
14	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं है।			
	योग			

प्रपत्र संख्या-4 (ख) को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- कॉलम नम्बर-3 एवं 4 में राजपत्रित कर्मचारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-6 के योग से एवं कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-7 के योग से मिलना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-3 एवं 4 का योग प्रपत्र संख्या-5 (क) के कॉलम नम्बर-16 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-5 का योग प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।

क्र.सं.	जिले का नाम	1700	1750	1900	2000	2400	2800	3600	4200	4800 एवं अधिक	प्रोबर्नर्स	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	प्रतापगढ़											
28.	राजसमन्द											
29.	सवाई माधोपुर											
30.	सीकर											
31.	सिराही											
32.	टोंक											
33.	उदयपुर											
34.	राज्य से बाहर											
	योग											

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश: -

1. इस प्रपत्र में केवल अराजपत्रित स्थाई एवं प्रोबर्नर्स कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टॉफ जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, में सम्मिलित किया जाना है।
3. डेप्युटेशन इत्यादि पर जो स्टॉफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यालय जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलम में शून्य हो उसमें डैश (-) अंकित करें।
5. कॉलम संख्या-13 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम संख्या-5 के योग से मिलान होना चाहिए।

विभाग का नाम: _____

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-76 दिनांक 31-3-2014
जिलेवार एवं वेतन वर्गानुसार राजपत्रित अधिकारियों की सूचना

प्रपत्र संख्या-5 (ख)

क्र.सं.	जिले का नाम	4800	5400	6000	6600	6800	7200	7600	8200	8700	8900	9500	10000	प्रारंभिक	योग
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अजमेर														
2.	अलवर														
3.	बांसवाड़ा														
4.	बांस														
5.	बाड़मेर														
6.	भरतपुर														
7.	भीलवाड़ा														
8.	बीकानेर														
9.	बूंदी														
10.	चित्तौड़गढ़														
11.	चुरू														
12.	दौसा														
13.	धौलपुर														
14.	डूंगरपुर														
15.	गंगानगर														
16.	हनुमानगढ़														
17.	जयपुर														
18.	जैसलमेर														
19.	जालौर														
20.	झालावाड़														
21.	झुझुनू														
22.	जोधपुर														
23.	करौली														
24.	कोटा														
25.	नागौर														

(संख्या)

क्र.सं.	जिले का नाम	4800	5400	6000	6600	6800	7200	7600	8200	8700	8900	9500	10000	प्रोबेर्न्स	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.	पाली														
27.	प्रतापगढ़														
28.	राजसमन्द														
29.	सवाई माधोपुर														
30.	सीकर														
31.	सिरोही														
32.	टीक														
33.	उदयपुर														
34.	राज्य से बाहर														
	योग														

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश: -

1. इस प्रपत्र में केवल राजपत्रित स्थाई एवं प्रोबेर्न्स कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टॉक जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, में सम्मिलित किया जाना है।
3. डेपुटेशन इत्यादि पर जो स्टाफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यरत जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलम में शून्य हो उसमें ढ़ेश (-) अंकित करें।
5. कॉलम संख्या-16 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम संख्या-8 के योग से मिलान होना चाहिए।

विभाग का नाम: _____

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 (सन्दर्भित दिनांक 31-3-2015)
 वेतन वर्गानुसार स्थायी एवं अस्थायी अराजपत्रित कर्मचारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों की संख्या का विवरण

प्रपत्र संख्या-1

शाखा: _____

कुल कार्यरत कर्मचारियों में से

क्र.सं.	वेतन वर्ग (ग्रिड पे अनुसार)	अराजपत्रित कार्यरत कर्मचारी			राजपत्रित कार्यरत कर्मचारी			वृद्ध योग (5+8)	अराजपत्रित कार्यरत कर्मचारी										योग (14+19)	राजपत्रित कार्यरत कर्मचारी						योग (25+30)					
		स्थायी	प्रोबेशनर्स	योग	स्थायी	प्रोबेशनर्स	योग		अनु. जाति	अनु. ज. जा.	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग	अनु. जाति	अनु. ज. जा.	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग		अनु. जाति	अनु. ज. जा.	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	1700																														
2	1750																														
3	1900																														
4	2000																														
5	2400																														
6	2800																														
7	3600																														
8	4200																														
9	4800																														
10	5400																														
11	6000																														
12	6600																														
13	6800																														
14	7200																														
15	7600																														
16	8200																														
17	8700																														
18	8900																														
19	9500																														
20	10000																														
	योग																														

*जिन कर्मियों का प्रवेशन पूर्ण हो चुके है एवं नियमितिकरण के आदेश जारी हो चुके है उन्हें स्थायी कर्मचारी में दर्शाया जाए।

**सभी कर्मियों का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 के अनुरूप दर्शाया जाए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2015
वेतन वर्गानुसार अराजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

विभाग का नाम: _____

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वेतन वर्ग (ग्रेड-पे अनुसार)	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1700								
2	1750								
3	1900								
4	2000								
5	2400								
6	2800								
7	3600								
8	4200								
9	4800 एवं अधिक								
10	प्रोबेशनर्स								
	योग								

प्रपत्र संख्या-2 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- दिनांक 31-3-2015 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि अंकित की जानी है, चाहे कर्मचारी का नए वेतनमान में स्थिरीकरण हुआ है या नहीं।
- प्रोबेशनर्स को देय वेतन/मानदेय को वेतन एवं विशेष वेतन कॉलम संख्या 3 में दर्शाया जाए।

प्रपत्र-1 को भरने के निर्देश:-

1. स्थाई कर्मचारी से तत्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है जो गणना दिनांक 31-3-1६ को किसी भी पद पर स्थाई तथा:
(अ) जिनके वेतन का भुगतान कन्सोलिडेटेड फण्ड से होता है।
(ब) जो राज्य सरकार के किसी निश्चित नियम (आर.एस.एस.आर.) से प्रभावित होते हैं तथा
(स) जिनका वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान (रेगुलर स्केल्स) एवं पदेन भत्ते के अनुरूप किया जाता है।
2. निम्नांकित कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है:-
(क) जो कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर रखे जाते हैं।
(ख) जिनका वेतन निम्न किसी निर्धारित वेतनमान के अनुरूप नहीं होता है।
(ग) जो वर्कचार्ज के आधार पर रखे जाते हैं।
3. कर्मचारियों को उनका ग्रेड-पे के अनुसार कॉलम नम्बर-2 में दिखाए गए वेतन वर्ग में विभाजित किया जाता है। इस वेतन में महंगाई भत्ते को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का विवरण प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम नं. 4 में तथा राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम नं. 4 में अंकित किया जाता है।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2015
वेतन वर्गानुसार राजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

(राशि ₹ में)

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	वेतन वर्ग (ग्रेड-पे अनुसार)	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4800								
2	5400								
3	6000								
4	6600								
5	6800								
6	7200								
7	7600								
8	8200								
9	8700								
10	8900								
11	9500								
12	10000 एवं अधिक								
13	प्रोबेशनर्स								
	योग								

प्रपत्र संख्या-3 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. इस प्रपत्र में केवल राजपत्रित अधिकारियों की सूचना ही सम्मिलित की जानी है।
2. कॉलम-3 में वेतन व विशेष वेतन के रूप में दी गई राशि ही अंकित की जानी है।
3. कॉलम-4 में महंगाई भत्ते की राशि अंकित की जानी है।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारियों को देय शहरी भत्ता, मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता आदि पा रहे अधिकारियों की मासिक राशि को मदवार अन्य भत्ते कॉलम 5 से 8 में अंकित की जानी है।
5. कॉलम नम्बर 3, 4 व 9 का कुल योग कॉलम नम्बर-10 में दिया जाना है।
6. दिनांक 31-3-15 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि।
7. प्रोबेशनर्स को देय वेतन/मानदेय को वेतन एवं विशेष वेतन कॉलम संख्या 3 में दर्शाया जाए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2015
संवर्गवार अराजपत्रित कर्मचारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	अराजपत्रित पदों के नाम	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या		31 मार्च को वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
		नियमित	प्रोबेशनर्स	
1	2	3	4	5
1	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग			
2	मंत्रालयिक संवर्ग			
3	अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग			
4	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं हैं।			
	योग			

प्रपत्र संख्या-4 (क) को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- कॉलम नम्बर-3 एवं 4 में अराजपत्रित कर्मचारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-3 के योग से एवं कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-4 के योग से मिलना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-3 एवं 4 का योग प्रपत्र संख्या-5 (क) के कॉलम नम्बर-13 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-5 का योग प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2015
संवर्गवार राजपत्रित अधिकारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	राजपत्रित पदों के नाम	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या		31 मार्च को वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
		नियमित	प्रोबेशनर्स	
1	2	3	4	5
1	चिकित्सा संवर्ग (सभी प्रकार के)			
2	शिक्षा संवर्ग			
3	कृषि संवर्ग			
4	सांख्यिकी संवर्ग			
5	तहसीलदार संवर्ग			
6	लेखा संवर्ग			
7	अभियन्ता संवर्ग			
8	पुलिस संवर्ग			
9	तकनीकी संवर्ग			
10	यांत्रिक संवर्ग			
11	पशुपालन संवर्ग			
12	राज्य राजपत्रित संवर्ग			
13	अखिल भारतीय सेवा			
14	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं है।			
योग				

प्रपत्र संख्या-4 (ख) को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- कॉलम नम्बर-3 एवं 4 में राजपत्रित कर्मचारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-6 के योग से एवं कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-7 के योग से मिलना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-3 एवं 4 का योग प्रपत्र संख्या-5 (क) के कॉलम नम्बर-16 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-5 का योग प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।

क्र.सं.	जिले का नाम	1700	1750	1900	2000	2400	2800	3600	4200	4800 एवं अधिक	प्रोबेर्नर्स	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	प्रतापगढ़											
28.	राजसमन्द											
29.	सवाई माधोपुर											
30.	सीकर											
31.	सिरोही											
32.	टोंक											
33.	उदयपुर											
34.	राज्य से बाहर											
	योग											

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश: -

1. इस प्रपत्र में केवल अराजपत्रित स्थाई एवं प्रोबेर्नर्स कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टॉफ जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, वहाँ सम्मिलित किया जाना है।
3. डेपुटेशन इत्यादि पर जो स्टॉफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यरत जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलम में शून्य हो उसमें डैश (-) अंकित करें।
5. कॉलम संख्या-13 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम संख्या-5 के योग से मिलान होना चाहिए।

क्र.सं.	जिले का नाम	4800	5400	6000	6600	6800	7200	7600	8200	8700	8900	9500	10000	प्रोबेर्नर्स	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.	पाली														
27.	प्रतापगढ़														
28.	राजसमन्द														
29.	सवाई माधोपुर														
30.	सीकर														
31.	सिरोही														
32.	टांक														
33.	उदयपुर														
34.	राज्य से बाहर														
	योग														

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश: -

1. इस प्रपत्र में केवल राजपत्रित स्थाई एवं प्रोबेर्नर्स कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टॉफ जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, में सम्मिलित किया जाना है।
3. डेपुटेशन इत्यादि पर जो स्टाफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यरत जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलम में शून्य हो उसमें डैश (-) अंकित करें।
5. कॉलम संख्या-16 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम संख्या-8 के योग से मिलान होना चाहिए।